



**मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,  
इन्दौर**

क्रमांक 01/01/2016/भण्डार

दिनांक: 02.08.2016

**:: निविदा शर्तें ::**

01. निविदा के संबंध में सामान्य जानकारी :-

सम्पूर्ण आयोग कार्यालय परिसर जिसमें निम्न परिसर शामिल है :-

स.क्र.	परिसर का विवरण	परिसर का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)
01	परीक्षा परिसर	7432
02	वर्तमान मुख्य भवन का भूतल	12024
03	आवक-जावक शाखा	629
04	पुराना लेखा/प्रशासन भवन	1000
05	नवीन एनेक्सी भवन (तीन मंजिला भवन)	70377
06	बाह्य परिसर	536.77 रनिंग फीट
योग :-		91998.77=92,000

नोट :- एक प्रवेश द्वार से दूसरे प्रवेश द्वार तक का आंतरिक परिसर, जिसमें खुला एरिया, बरामदे, पार्किंग, पेविंग रोड व अन्य एरिया शामिल है।

आयोग परिसर में स्थित अधिकारी कक्ष, हॉल, समस्त अनुभागों, शौचालयों, बाथरूमों, चौक, चढ़ाव, छत-छप्पे सहित की दैनिक साफ-सफाई, (स्वीपिंग, डस्टिंग, पोछा, धुलाई, आदि) एवं रख-रखाव, एकत्रित कचरे का परिवहन एवं निष्पादन मय उपयोगी सामान के निविदा मोहरबन्द लिफाफे में विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से दिनांक 01.09.2016 को शाम 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा भरने से पूर्व निविदाकर्ता द्वारा सम्पूर्ण कार्यालय परिसर का निरीक्षण किसी भी कार्यालयीन दिवस एव कार्यालयीन समय में आकर किया जा सकता है। यह निविदा वार्षिक साफ-सफाई एवं रख-रखाव का अनुबंध है।

01. निविदा प्रपत्र का मूल्य :- 1000/- रुपये


### 1.1 निविदा प्रपत्र भरने के सामान्य निर्देश :-

निविदा निम्नानुसार भरी जायेगी :-

- प्रथम लिफाफा - (लिफाफे के उपर धरोहर राशि स्पष्टतः लिखा जावे)
- द्वितीय लिफाफा-तकनीकी बिड (लिफाफे के उपर तकनीकी बिड स्पष्टतः लिखा जावे)
- तृतीय लिफाफा-वित्तीय बिड (लिफाफे के उपर वित्तीय बिड स्पष्टतः लिखा जावे)

तीनों लिफाफे एक बड़े सील बंद लिफाफे में रखे जायेंगे बड़े लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में "साफ-सफाई एवं रख-रखाव का अनुबंध हेतु कोटेशन" लिखा जावे तथा विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से दिनांक 01.09.2016 को समय शाम 05:00 बजे तक म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर की आवक शाखा में जमा करना होगा। समयावधि पश्चात् निविदा प्रपत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे। प्राप्त निविदा प्रपत्र दिनांक 03.09.2016 को समय दोपहर 12:00 बजे आयोग द्वारा गठित समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ता/प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। निविदाकर्ता अथवा उनके केवल एक प्रतिनिधि ही इस कार्य के लिए उपस्थित रहेंगे। धरोहर राशि सही पाई जाने पर ही तकनीकी बिड खोली जावेगी तथा धरोहर राशि नहीं पाई जाने/सही नहीं पाई जाने पर निविदा निरस्त की जावेगी।

- 01 प्रथम लिफाफा** - प्रथम लिफाफे के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि की रूपये 1000 की रसीद अथवा निविदा डाउनलोड करने की स्थिति में रूपये 1000 का डी.डी. जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर के पक्ष में देय हो तथा धरोहर राशि के रूप में रूपये 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार मात्र) का राष्ट्रीकृत बैंक का ड्राफ्ट जो कि सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा। बिना उक्त शुल्क व धरोहर राशि के निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
- 02 द्वितीय लिफाफा** -आयोग द्वारा निर्धारित तकनीकी प्रारूप प्रपत्र-1 में तकनीकी निविदा प्रस्ताव तथा चेकलिस्ट अनुसार हस्ताक्षर व पदमुद्रा सहित संबंधित समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र।
- 03 तृतीय लिफाफा** - आयोग द्वारा निर्धारित वित्तीय प्रारूप प्रपत्र-6 में वित्तीय निविदा प्रस्ताव।
- 04** आयोग द्वारा गठित तकनीकी समिति के सदस्यों एवं निविदाकर्ता अथवा निविदाकर्ता के प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 03.09.2016 को समय दोपहर 12:00 बजे निविदा खोली जायेगी। प्रथम लिफाफा खोले जाने के पश्चात् सही पाए जाने पर द्वितीय लिफाफा समिति के समक्ष खोला जावेगा। द्वितीय लिफाफे तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने पर ही तृतीय लिफाफा अर्थात् वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे।
- 05** सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा प्राप्ति दिनांक से 120 दिनों के लिए वैध होगी।
- 06** निविदा करने के पश्चात् कोई परिवर्तन या संशोधन मान्य नहीं होगा।
- 07** विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 08** निविदाकर्ता द्वारा बिड वापस नहीं ली जावेगी अन्यथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।



- 09 वित्तीय निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग/काट छांट होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। अन्य प्रपत्रों में काट छांट या ओवर राइटिंग होने पर हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा होना आवश्यक होगा।
- 10 निविदा प्रपत्र तथा प्रमाण पत्र आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी। निविदा शर्तों के अनुसार अथवा संलग्न प्रारूप में नहीं भरी होने पर अथवा अधूरे भरे हुये निविदा प्रपत्र मान्य नहीं किए जायेंगे।
- 11 निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् सफल निविदा कार को 07 दिवस के भीतर परफारमेंस गारंटी के रूप में संविदा के वार्षिक मूल्य की 10 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी. के रूप में प्रस्तुत करना होगी, व अनुबंध करना होगा। यह एफ.डी. वारंटी बाध्यताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद 60 दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक है एवं जब तक उसके लंबित बिलों का निपटान नहीं हो जाता तब तक के लिये आयोग के पास जमा रहेगी। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा। यदि सफल निविदाकार उक्त शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी एवं अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।
- 12 यह अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए है। सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रथम एक वर्ष तक उपलब्ध करायी गयी सेवा सन्तोषप्रद होने की स्थिति में ही निविदा अवधि की निरंतरता की स्वीकृति पूर्व में आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर एक-एक वर्ष के लिए अधिकतम 03 बार अथवा आगामी निविदा होने तक बढ़ाई जा सकेगी। निविदा की शर्तें अनुबंध का अभिन्न अंग होगी। निविदा के नवीनीकरण की स्थिति में परफारमेंस गारंटी का नवीनीकरण किया जाना होगा।
- 13 वित्तीय निविदा समस्त दरों व करों सहित भरी जावेगी पृथक से कोई चार्जस देय नहीं होंगे।

## 1.2 कार्यक्षेत्र, कार्यों का विवरण व अनुबंध की शर्तें :-

आयोग कार्यालय परिसर चारों ओर से खुला परिसर है। आयोग कार्यालय में परीक्षा भवन, आवक-जावक भवन, वर्तमान मुख्य भवन, लेखा/प्रशासन भवन एवं नवीन एनेक्सी भवन, एवं कार्यालय का वाहय परिसर, समस्त भवनों में दर्शाये गये एरिया में स्थित अधिकारी कक्ष, हाल, अनुभाग, शौचालय एवं बाथरूम, आयोग कार्यालय के पूर्ण परिसर में समस्त खुला एरिया, पार्किंग, बरामद, चढ़ाव, रेलिंग, छज्जे, छत आदि की नियमित व विशेष साफ-सफाई, स्वीपिंग, डस्टिंग, पोछा, धुलाई, आदि एवं रख-रखाव तथा एकत्रित कचरा आदि का परिवहन करना होगा। साफ-सफाई एवं रख रखाव, मय उपयोगी सामान मशीन व सफाई सामग्री सहित निविदा आमंत्रित की जाती है।

- 01 निविदा संबंधी समाधान के लिए अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) से सम्पर्क किया जा सकता है।
- 02 अधिकारी कक्ष, हॉल, समस्त अनुभागों, चौक (स्केव्यर ओपन स्पेस), चढ़ाव, छत, छज्जे (बालकनी) सहित प्रतिदिन सुबह 9.00 बजे तक सफाई होना आवश्यक है तथा सम्पूर्ण कार्यालय परिसर, बरामदों एवं शौचालयों, बाथरूमों, की सफाई दिन में दो बार 9 बजे के पूर्व तथा 1:30 से 3:00 बजे के मध्य करना आवश्यक होगा।

- 03 शौचालय/बाथरूम में नल टॉटिया संचालन एवं संधारण का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से कराना होगा।
- 04 आयोग कार्यालय के वाटर टैंकों की हर तीन माह में सफाई करवाना आवश्यक होगा।
- 05 ठेकेदार को आयोग भवनों के फ्लोर्स, वाल्स, कॉलम, पार्टीशन्स, फर्नीचर, अलमारी, लिफ्ट, सीढ़ी, रैम्प, ग्रील्स, टॉयलेट्स, बेसीन्स इलेक्ट्रिकल स्वीच, बोर्ड, डोरमेट, पंखे, ए.सी., नेमप्लेट, खिड़की, कॉच आदि की सफाई, धुलाई व डस्टिंग करना होगी। बिल्डिंग की वास्तु डिजाईन का विशेष ध्यान रखकर सफाई करनी होगी।
- 06 पूरे भवन की आयोग कार्यालय के निर्देशानुसार 26 जनवरी एवं 15 अगस्त के पूर्व एवं आयोग में जब किसी अति विशिष्ट व्यक्ति का आगमन होगा तो संस्था को अत्यंत दक्ष कर्मचारियों की व्यवस्था करते हुए अति विशिष्ट व्यक्ति हेतु विशेष प्रयोजन से निर्देशानुसार साफ-सफाई व्यवस्थाओं हेतु प्रबंधन एवं सहयोग करना होगा।
- 07 साफ-सफाई में इस्तेमाल लिक्विड साबुन, ब्लिचिंग पावडर, कार्बिक सोडा, फिनाईल एवं दुर्गन्ध रहित सामग्री से सफाई कराना ठेकेदार का दायित्व होगा। सफाई में उपयोग किये जाने वाले उच्च गुणवत्ता के ब्राण्डेड केमिकल एवं बुडन फर्नीचर व वाल, बुडन फ्लोर के लिए विशेष केमिकल का उपयोग करना होगा।
- 08 मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स व सफाई सामग्री आदि निविदाकर्ता की होगी।
- 09 समस्त पिकदान/डस्टबीन खाली करना एवं उनकी साफ-सफाई व्यवस्था कराना आवश्यक होगा।
- 10 मुख्य भवन एवं अन्य अनुभागों में मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए, जाले हटाने के लिए सफाई नियमित अंतराल में सम्पन्न करना होगा।
- 11 मुख्य भवन एवं अन्य अनुभागों में कचरा डालने का डिब्बों में प्लास्टिक बैग लगाना, धूल, कचरा, दाग, धब्बे आदि साफ करना होगा।
- 12 उपरोक्त समस्त कार्य हेतु राशि निविदा में शामिल करें। किसी कार्य के लिए जैसे :- (डीजल, बिजली, मीटर पृथक से लगाना, इत्यादि) अलग से कोई चार्ज नहीं दिया जावेगा ना ही किसी कर्मचारी की सहायता दी जाएगी।
- 13 कार्यालय का कचरा व अन्य अनुपयोगी सामान नगर निगम द्वारा निर्धारित जगह तक पहुंचाने की जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी।
- 14 सफाई के बाद ठेकेदार द्वारा सफाई का निरीक्षण आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से करवाया जाएगा। संबंधित के संतुष्ट न होने पर ठेकेदार को पुनः सफाई कराना होगी। संबंधित द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के आधार पर ही कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा व देयक का भुगतान किया जायेगा।
- 15 ई.पी.एफ., ई.एस.आई., न्यूनतम वेतन अधिनियम, अन्य श्रम कानूनों व अन्य कानूनी व वैधानिक प्रावधानों का पालन करना निविदाकर्ता की जवाबदारी होगी। इस संबंध में आयोग की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।

16. अनिवार्य रूप से चाहे गए प्रपत्र/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा निविदा शर्तों व प्रपत्रों के अनुरूप न होने पर अमान्य की जावेगी।
17. जिनकी निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकर्ता की धरोहर राशि निविदा आदेश जारी होने के 15 दिवस पश्चात् लौटाई जावेगी।
18. बाल श्रमिक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी रूप में कार्यरत कर्मचारियों की घटना/दुर्घटना होने पर इस कार्यालय की जवाबदेही नहीं होगी, संस्था इस हेतु जिम्मेदार रहेगी। कर्मचारी का ड्रेसकोड एवं पहचान पत्र संस्था द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य होगा।
19. ठेका कार्य हेतु वांछित पंजीयन आवश्यक होगा।
20. कम्पनी के संचालक द्वारा अथवा जिनके नाम से अनुज्ञप्ति जारी है अथवा जिनके नाम से पॉवर ऑफ अटर्नी हो उसी के नाम से निविदा भरी जावेगी।
21. समस्त कर्मचारियों का पुलिस द्वारा सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होगा।
22. उक्त कार्य में आयोग की सम्पत्ति को हानि, टूट-फूट व खराब नहीं होगा अन्यथा आयोग की सम्पत्ति के नुकसान का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा तथा यदि ऐसा पाया जाता है, तो ठेकेदार द्वारा टूट-फुट, नुकसानी/चोरी के सामान की हर्जाने की पूर्ति सुरक्षा निधि/परफारमेंस गारंटी से काट ली जावेगी।
23. कार्य संतोषजनक नहीं होने एवं ठेके की शर्तों के उल्लंघन करने पर एक माह के नोटिस पर ठेका कार्य कभी भी समाप्त किया जा सकेगा।
24. आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी निविदा या उसके किसी अंश को या सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को किसी भी स्थिति में बगैर कोई कारण बताये स्थगित या निरस्त कर सके।
25. सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रथम एक वर्ष तक उपलब्ध करायी गयी सेवा संतोषप्रद होने की स्थिति में ही निविदा अवधि की निरंतरता की स्वीकृति पूर्व में आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर एक-एक वर्ष के लिए अधिकतम 03 बार अथवा आगामी निविदा होने तक बढ़ा दी जायेगी। निविदा की शर्त अनुबंध का अभिन्न अंग होगी। निविदा के नवीनीकरण की स्थिति में परफारमेंस गारंटी का नवीनीकरण किया जाना होगा।
26. कार्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है।
27. निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये कर्मचारियों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो इसकी सूचना आयोग को पूर्व में दी जाना अनिवार्य होगा।
28. नियमानुसार करों का कटौती किया जावेगा।
29. कार्यालय द्वारा एक माह की सूचना पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा तथा निविदाकर्ता द्वारा दो माह पूर्व सूचना देने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।



### 1.3 भुगतान प्रक्रिया :-

01. राशि का भुगतान संतोषप्रद कार्य के आधार पर मासिक आधार पर प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करने पर सामान्य स्थितियों में 15-20 दिवस के अन्दर बजट उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा ।
02. किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा ।
03. भुगतान ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जावेगा ।
04. भुगतान प्रक्रिया आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जावेगी ।

### 1.4 दण्डात्मक निर्देश :-

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र व अनुबंध में दर्शित शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा निर्धारित सेवाओं का प्रदाय न किये जाने पर अथवा सेवाएँ निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप न पाये जाने पर अथवा निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर अथवा आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर आयोग द्वारा निम्न कार्यवाही की जा सकेगी :-

- a) सेवाओं का प्रदाय न किये जाने पर अथवा सेवाएँ निर्धारित गुणवत्ता अनुरूप न पाये जाने पर आर्थिक दण्ड का अधिरोपण :- अनुबंधित दर के मान से प्रति वर्ग फीट की दर अनुसार कार्य न किये जाने के मूल्य का 10 गुना तक आर्थिक दण्ड का अधिरोपण ।
- b) निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र व अनुबंध में दर्शित शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर अथवा आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर रुपये 10000/- तक आर्थिक दण्ड का अधिरोपण ।
- c) वर्ष में 10 बार से अधिक दण्ड अधिरोपित किये जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जा सकेगी :-
  1. अनुबंध निरस्त करना तथा परफार्मेंस गारंटी राजसात करना ।
  2. ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही करना ।
- d) दण्ड और क्षतिपूर्ति की राशि देयको अथवा संबंधित द्वारा चालान/डी.डी. अथवा परफार्मेंस गारंटी की जमा राशि से काट ली जावेगी, परफार्मेंस गारंटी की प्रतिपूर्ति 15 दिवस के अन्दर करना होगी ।
- e) सफाई की अन्य व्यवस्था किये जाने पर, जो भी भुगतान होगा, उतनी राशि देयक/परफार्मेंस गारंटी से काटी जावेगी ।
- f) दण्ड अधिरोपण के पूर्व संस्थान को कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा ।

### 1.5 निविदा चयन का आधार :-


न्यूनतम दरें निर्धारित करने का आधार वित्तीय प्रपत्र में सरल क्रमांक-06 में न्यूनतम राशि होगी । न्यूनतम वित्तीय निविदा मान्य की जावेगी ।

### 1.6 पात्रता की शर्तें :-

- 01 श्रम विभाग द्वारा जारी टेका श्रम अधिनियम के अन्तर्गत लायसेंस होना आवश्यक है।
- 02 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ़ एक्साईज एण्ड कॅस्टम बोर्ड का सर्विस टैक्स पंजीयन होना आवश्यक है।
- 03 आयकर विभाग का संस्था का पेन नम्बर होना आवश्यक है।
- 04 चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी वर्ष 2015-16 के पूर्व के 03 वर्षों का न्यूनतम रूपये 50 लाख वार्षिक का टर्नओवर हेतु आयकर विवरणी पत्रक तथा पुष्टि हेतु सी.ए. का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 05 गत वित्तीय वर्ष तक का आयकर अदेयता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- 06 नगर निगम से वैध पंजीयन होना आवश्यक है।
- 07 आय.एस.ओ. का वैध सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
- 08 शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्तशासी उपक्रमों/निजि संस्थानों में साफ सफाई कार्य सफलतापूर्वक कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव में तीन वर्षों का औसत न्यूनतम 2.00 लाख वर्ग फीट एरिया का साफ-सफाई कार्य का अनुभव होना आवश्यक है जिसमें से किसी एक परिसर का क्षेत्रफल न्यूनतम 50,000 वर्ग फीट होना आवश्यक है।
- 09 अनुभव प्रमाण पत्र के साथ-साथ उक्त संस्थानों से सम्पादित अनुबंध की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
- 10 उक्त संस्थानों में से न्यूनतम 03 संस्थानों द्वारा जारी संतोषप्रद सेवा से संबंधित प्रमाण-पत्र निविदा प्रपत्र के संलग्न करना आवश्यक है।
- 11 निविदाकर्ता द्वारा संस्थान की पदमुद्रा सहित स्वसत्यापित प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ ही संलग्न की जावे, अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
- 12 सभी दस्तावेज वैध होना आवश्यक है।

### 1.7 विवाद का निपटारा :-

- 01 विवाद की स्थिति में सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर का निर्णय अंतिम व बंधनकारी रहेगा व न्याय क्षेत्र इन्दौर होगा।
02. परिणामी संविदा की व्याख्या भारतीय कानून के तहत की जावेगी।

  
 अवर सचिव, 02/08-16  
 म.प्र. लोक सेवा आयोग  
 इन्दौर

## चेक लिस्ट

स.क्र.	विवरण	संलग्न है या नहीं	पृष्ठ क्रमांक
01	निविदा प्रस्ताव-प्रथम लिफाफे में निम्नानुसार रखा जावे :- 1. निविदा शुल्क रसीद राशि रूपये 1000 अथवा डाउनलोड करने की स्थिति में राष्ट्रियकृत बैंक का डी.डी. । 2. धरोहर राशि 15,000 राष्ट्रियकृत बैंक ।		
02	निविदा प्रस्ताव-द्वितीय लिफाफा में निम्नानुसार रखा जावे 1. संविदा प्रपत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रपत्र-1 2. निम्नानुसार प्रपत्र, प्रमाण पत्र व अभिलेख		
2.1	सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज एण्ड कॅस्टम बोर्ड का सर्विस टैक्स का वैध प्रमाण पत्र।		
2.2	श्रम विभाग द्वारा जारी टेका श्रम अधिनियम के अन्तर्गत लायसेंस होना आवश्यक है।		
2.3	नगर निगम का पंजीयन		
2.4	एजेंसी का विवरण		
2.5	संबंधित संस्थान का पैन कार्ड की छायाप्रति।		
2.6	विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) की आयकर विवरणी की पावती जो आयकर विभाग द्वारा जारी की गई हो की छायाप्रति ।		
2.7	विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) की बैलेंसशीट।		
2.8	विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15) के अकॅक्षित लेखों का संलग्न प्रारूप में सारांश जिसमें साफ सफाई कार्य के न्यूनतम रूपये 50 लाख का टर्नओवर की राशि का प्रमाणीकरण चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा किया गया हो।		
2.9	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्तशासी उपक्रमों/निजि संस्थानों में साफ सफाई कार्य सफलतापूर्वक कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है । अनुभव में तीन वर्षों का औसत न्यूनतम 2.00 लाख वर्ग फीट एरिया का साफ-सफाई कार्य का अनुभव होना आवश्यक है जिसमें से किसी एक परिसर का क्षेत्रफल न्यूनतम 50,000 वर्ग फीट होना आवश्यक है इस विषयक अनुभव प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख। प्रपत्र-2		



2.10	शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्तशासी उपक्रमों / निजी संस्थानों में साफ सफाई कार्य सफलतापूर्वक कार्य करने का संस्थानों से सम्पादित अनुबंधों की प्रति ।		
2.11	शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालयों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्तशासी उपक्रमों / निजी संस्थानों में न्यूनतम 03 संस्थानों का साफ सफाई कार्य सफलतापूर्वक कार्य करने का संस्थानों का प्रमाण-पत्र ।		
2.12	हस्ताक्षरित शपथ पत्र, प्रपत्र-3		
2.13	अंकेक्षित लेखों का सारांश, प्रपत्र-4		
2.14	निविदाकार संस्था को स्वयं का घोषणा पत्र देना होगा कि फर्म को विगत 05 वर्षों में किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड एवं उसकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालयीन वाद तो नहीं है। प्रपत्र-5		
03	निविदा प्रस्ताव-तृतीय लिफाफा (वित्तीय निविदा प्रपत्र-6)		



## तकनीकी बिड प्रपत्र-1

(निविदाकर्ता अपने स्वयं के लेटर हेड पर निम्न प्रारूप में निविदा प्रपत्रों की शर्तों अनुसार प्रस्तुत करें)

प्रति,

सचिव,  
म.प्र. लोक सेवा आयोग,  
रेसीडेन्सी एरिया, इन्दौर।

विषय :- आयोग कार्यालय पुराना भवन, नवीन एनेक्सी भवन एवं समस्त आयोग कार्यालय परिसर की साफ-सफाई मय सफाई सामग्री एवं उपकरण सहित दरें।

—00—

आयोग कार्यालय पुराना भवन, नवीन एनेक्सी भवन एवं समस्त आयोग कार्यालय परिसर की साफ-सफाई का कार्य मय सफाई सामग्री एवं मशीन सहित कार्य हेतु संलग्न प्रपत्र में मासिक दर सहित अपना निविदा आवेदन सहर्ष प्रस्तुत करता हूँ, जिसकी सभी शर्तें मुझे मान्य हैं।

फोटो

1. कम्पनी के संचालक/निविदाकर्ता/सेवादाता का नाम \_\_\_\_\_
2. संस्था/कम्पनी का नाम \_\_\_\_\_
3. संस्था/कम्पनी का पूर्ण पता \_\_\_\_\_
4. रजिस्ट्रेशन नम्बर \_\_\_\_\_
- मोबाईल नं० \_\_\_\_\_ फोन नं० (कार्यालय/निवास) \_\_\_\_\_ ईमेल एड्रेस \_\_\_\_\_
5. कार्यालय का पता जहां कम्पनी स्थित है \_\_\_\_\_
- सेवादाता के अलावा किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता मोबाईल नं० फोन नं० आदि एवं अन्य कार्य स्थल का पता \_\_\_\_\_ फोन नं० \_\_\_\_\_
6. साफ-सफाई का कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. आयकर का पेन नं० \_\_\_\_\_
8. नगर निगम का पंजीयन क्रमांक \_\_\_\_\_
9. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन क्रमांक \_\_\_\_\_

10. संस्थान का विगत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर

वर्ष	टर्नओवर (लाख रुपये में)
2012-2013	
2013-2014	
2014-2015	

11. रजिस्ट्रेशन/दस्तावेजों की छायाप्रति प्रदर्शित कर संलग्न करें ।
12. संस्था/सेवादाता का बैंक खाता नम्बर बैंक का नाम शाखा सहित
13. 100 रु० के नाम्न ज्युडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ-पत्र मूल प्रति
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी उपक्रमों में समान कार्य सफलतापूर्वक करने का न्यूनतम 03 वर्ष के अनुभव हेतु सम्पादित संस्थानों की सूची संलग्न करना आवश्यक होगा ।
15. विगत वर्ष का आयकर तथा सेवाकर जमा की पावती की छायाप्रति ।
16. मेरे द्वारा सम्पूर्ण आयोग परिसर का निरीक्षण कर लिया गया ।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

निविदाकर्ता/सेवादाता का नाम \_\_\_\_\_

संस्था के निविदाकर्ता/सेवादाता का पता \_\_\_\_\_

संस्था की सील \_\_\_\_\_

नोट :- चेक लिस्ट के स.क. 2 से 2.14 तक सभी अभिलेख, द्वितीय लिफाफे में तकनीकी निविदा में रखें ।



## निविदाकार के कार्यानुभव का विवरण प्रपत्र - 2

क.	प्रतिष्ठित संस्था का नाम, पूरा पता, दूरभाष नं., फ़ैक्स नं. (जहाँ निविदाकार ने कार्य किया हो)	बिल्डिंग का एरिया (वर्गफीट में)	अनुबंध में निर्धारित मासिक दर	अनुबंध की अवधि		
				दिनांक से dd/mm/yy	दिनांक तक dd/mm/yy	कल अनुभव अवधि year
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

- नोट :-
1. अतिरिक्त जानकारी हेतु अतिरिक्त प्रपत्र का उपयोग करें।
  2. सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

दिनांक : .....

स्थान : .....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम : .....

पदमुद्रा : .....



## प्रपत्र-3

## शपथ पत्र का प्रारूप

(रु 10/- के गैर न्यायिक मुद्रांक/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं ..... पुत्र/पुत्री ..... उम्र ..... पता ..... शपथ पूर्वक  
निम्नलिखित कथन करता हूँ कि :-

1. मैं निविदाकर्ता संस्था ..... (फर्म/कम्पनी/समिति का नाम) का .....  
(एकल/स्वामी/साझेदार/संचालक/मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ तथा यह संस्था वर्तमान में वैधानिक  
रूप से पंजीकृत है। जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता ..... है।

2. मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मुझे तथा मेरी संस्था को मान्य है। मैंने सम्पूर्ण आयोग कार्यालय का निरीक्षण कर लिया है।

3. निविदा में वर्णित सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिये मेरे/मेरी संस्था के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियों पंजीकरण तथा स्वीकृतियों प्राप्त है।

4. मेरे/मेरी संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारी पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है कि किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त की जा सकती है तथा हमारे द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि एवं परफॉरमेंस गारंटी आयोग द्वारा जब्त की जा सकेगी।

स्थान .....

दिनांक .....

शपथगृहीता

नाम .....

पता .....

1. गवाह नाम पता .....

2. गवाह नाम पता .....

## सत्यापन

मैं निविदाकर्ता ..... (फर्म/कम्पनी/संस्था का नाम) .....  
(एकल/स्वामी/साझेदार/संचालक/मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित क्र. 1 से लेकर 4. तक किये गये कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य तथा प्रमाणित है।

स्थान .....

दिनांक .....

शपथगृहीता

नाम .....

पता .....

1. गवाह नाम पता .....

2. गवाह नाम पता .....

## प्रपत्र -4

## अंकेक्षित लेखों का सारांश (विगत तीन वर्षों का)

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स.....पता.....  
 .....के विगत तीन वर्षों के अंकेक्षित लेखों एवं आयकर विभाग को प्रस्तुत आयकर  
 विवरणियों की जाँच मेरे द्वारा की गई है। अंकेक्षित लेखों के अनुसार निविदाकार का समान  
 प्रकृति के कार्य का आवर्त (टर्नओवर) इस प्रकार है :-

कं.	वर्ष	राशि (शब्दों में) रूपये में	राशि (अंको में) रूपये में
1	2014-15		
2	2013-14		
3	2012-13		

टीप :- शब्दों एवं अंको में राशि में अंतर होने पर शब्दों की राशि को प्रमाणिक माना जाएगा।

उपर्युक्त आवर्त की गणनाएं मेरे द्वारा स्वयं जांची गई है। जिसे मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर की निविदा शर्तों के अनुसार वांछित शर्त के रूप में मैं प्रमाणित करता हूँ।

दिनांक : .....

स्थान : .....

चार्टर्ड लेखाकार का नाम : .....

फर्म की पदमुद्रा : .....

प्रपत्र -5

घोषणा पत्र

(ब्लैक लिस्ट एवं न्यायालयीन वाद नहीं होने के संबंध में)

मैं.....आत्मज.....

साफ सफाई के अनुबंध के लिए आयोग में निविदाकार हूँ। मैं यह घोषित करता हूँ कि हमारी संस्था को विगत पांच वर्षों में किसी भी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है और ना किसी न्यायालय में संस्था के गठन या कार्यों के संबंध में कोई वाद लंबित नहीं है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक : .....

नाम : .....

स्थान : .....

पदमुद्रा : .....



साफ-सफाई एवं रख-रखाव अनुबंध हेतु वित्तीय निविदा

प्रपत्र-6

परिसर का कुल क्षेत्रफल	दर प्रति वर्गफीट रूपये में ।	कुल मासिक राशि (रूपये में)
92,000 वर्ग फीट		

दरें समस्त करों सहित उल्लेखित की जावें। दरें साफ-सफाई एवं रख-रखाव कार्य मय मशीन व सफाई सामग्री सहित (निविदा में अंकित अनुरूप) प्रस्तुत की जावे।

